न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

<u>प्रार्थी</u>

1. हमीरसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राव
2. विजयसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राव
3. भोपालसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राव
4. बाबूसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राव

निवासीगण पोसालिया तह0 शिवगंज जिला सिरोही

<u>बनाम</u>

<u>अप्रार्थीगण</u>

1. मदनलाल पुत्र दाना जी कुम्हार
2. मांगीलाल पुत्र छोगाजी
3. भीमाराम पुत्र कूपाजी
4. 4/1–नारायणलाल पुत्र नथाराम
   4/2–अशोक कुमार पुत्र नथाराम
   4/3–अमृतलाल पुत्र नथाराम
   4/4–वरजू पत्नी नथाराम
   4/5–लीला पुत्री नथाराम
5. मीठाराम पुत्र छोगाजी
6. लसाराम पुत्र छोगाजी
7. पेपी पुत्री छोगाजी
8. हिरी पुत्री छोगाजी
9. पवनी पुत्री छोगाजी
10. वनी पुत्री छोगाजी
11. मंछी बेवा छोगाजी
12. 12/1–छतरा पुत्र दानिया
    12/2–पुखराज पुत्र दानिया
    12/3–मदनलाल पुत्र दानिया
    12/4–कमला पुत्री दानिया
    12/5–गजी पत्नी दानिया
    12/6–रम्भा पुत्री दानिया
    12/7–छगनी पुत्री दानिया
    सर्वजातियान–कुम्हार निवासीगण पोसालिया तह0 शिवगंज
13. मांगीलाल पुत्र छोगाजी कुम्हार निवासी अरठवाडा
14. रतनदीपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राव
15. फतेहसिंह पुत्र हरिसिंह राव
16. छगन कुंवर पत्नी हरिसिंह राव निवासी पोसालिया
17. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव

विद्वान अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 26/2015
दिनांक 08.01.2025

GCMS No. 2015/00039

–::<u>आदेश</u>::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की कृषि आराजी मौजा पोसालिया तहसील शिवगंज में खसरा नम्बर 668 रकबा 09.19 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण त[illegible] 14 [illegible]दार काश्त कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते है। एवं पद सं0 [illegible] व[illegible] आराजी पर आने जाने हेतु पद सं0 1 में वर्णित आराजी के समीप ही [illegible] 664, 66[illegible] 669 की आराजी के एक तरफ से निकलने वाले रास्ते से होकर अपने आने जाने तथा अपने [illegible] एवं खडाई व बुवाई इत्यादि के लिये ट्रेक्टर, बेलगाडी इत्यादि लाने ले जाने के रूप में उपयोग में कदीम से लेते आ रहे है। जो कि प्रार्थनापत्र के संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस प्रति दिनांक [illegible]10.1990 में उक्त रास्ता इन्द्राज किया हुआ है। जो उक्त दर्शायी भूमि रास्ते के रूप में उपयोग ली जाती रही है। एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 14 ता 16 के खेत में जाने के लिये उपयोग में लिया जाता रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

.... लगातार पेज संख्या 2 पर

प्रकरण सं0 26 / 2015
हमीरसिंह व अन्य बनाम मदनलाल वगैरह
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 13 की खातेदारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 669 अप्रार्थीगण 1 ता 13 की गैरखातेदारी भूमि है। जो पूर्व में गैर मुमकिन तेड था। प्रार्थीगण खातेदारी भूमि पर जाने हेतु खसरा नम्बर 664, 666 के उत्तर दिशा की और ये अपनी कृषि पर आने जाने के लिए तथा मवेशी, टैक्ट्रर, बैलगाडी आदि लाने ले जाते रहे है जो करीब 20 फीट चौडाई में विधमान है लेकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में उपलब्ध नहीं होने तथा अन्य कोई रास्ता विधमान नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण 1 ता 13 ने नाजायज फायदा उठाकर रास्ता को बन्द करने की कोशिश कर रहे है प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर जाने के लिए राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य हेतु जाना मुश्किल हो गया है। उपरोक्त खसरा संख्या में 20 फीट चौडा रास्ता कदीमी है जो आवेदक पूर्वजो के समय से सैकडों वर्षो से आवागमन के उपयोग में आता रहा है। (नक्शे में ए से बी भाग में अंकित वर्तमान में अप्रार्थीगण खातेदार द्वारा बदनियति पूर्वक रास्ते को बन्द कर दिया तथा हर वक्त झगडे पर उतारू होकर मारपीट करने तथा झूठे मुकदमे की धमकी देकर आवेदक को रास्ते से वंचित कर रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा पोसालिया पटवार हल्का पोसालिया के खसरा नम्बर 664, 666 व 669 के उत्तर दिशा में स्थित सैकडों वर्षो से पुराने कदीमी 20 फीट चौडे रास्ते, की तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज एवं मौके पर रास्ते की सीमा चिन्ह अंकित करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना राजस्व लोक अदालत केम्प पोसालिया में कमेटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2016 के विरूद्ध अप्रार्थीगण (अपीलांट) ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली के विरूद्ध अपील पेश की गई जिसे उक्त न्यायालय अपीलांट की अपील सं0 11 / 2014 को आंशिक स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2016 अपास्त कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश के साथ प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित हुआ।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रकरण प्रतिप्रेषित होने पर दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज को प्रार्थनापत्र के संबंध में दोनों पक्षों को रूबरू सूचित करते हुए मौका रिपोर्ट राज0 टिनेंसी एक्ट की धारा 251 'क' के अन्तर्गत प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 14.10.2021 को निर्देश दिये गये। जिस पर तहसीलदार शिवगंज के पत्र क्रमांक राजस्व / 2022 / 2249 दिनांक 30.06.2022 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं0 4 नथाराम व 12 दानिया की मृत्यु होने से प्रार्थीगण के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. दिनांक 28.12.2022 पर जवाब अप्रार्थीगण बहस दिनांक 08.02.2023 को सुनी जाकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक के वारिसान को रेकर्ड पर लिया गया। अप्रार्थी सं0 12 के वारिसान बाद तामिल नोटिस अनुपस्थित तथा अप्रार्थी सं0 4 के वारिसान 1 ता 5 तामिली रिपोर्ट के अनुसार लेने से इंकार पर तामिल माना जाकर अनुपस्थित रहने से इनका जवाब बंद किया गया। तथा अप्रार्थी सं0 12 / 1, 12 / 2, 12 / 4 ता 12 / 7 के भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं0 12 / 3 व अप्रार्थी सं0 1 दोनों एक ही व्यक्ति होने से पुनः तामील करवाने की जरूरत नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता को बहस हेतु कई अवसर दिये जाने के पश्चात दिनांक 18.12.2024 को प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार द्वारा दिनांक 08.01.2025 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया जिसकी नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई व इसी दिन प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब न देकर बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर उभय वकील पक्षकारान द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस की जो सुनी गई। हमनें उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया तो पाया कि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र निर्णय / आदेश हेतु नियत होने से इस स्तर पर उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश किया है जिसे हम इस स्तर पर न्यायसंगत व उचित नहीं समझते है। अतः अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:52 IST
Reason: Self Attested

तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रि[illegible]र खसरा नं0 674 का जो सरकारी रास्ता है। बिन्दु A से B पूर्व का प्रस्त[illegible] है बिन्दु 'ए' से 'बी' पूर्व का प्रस्तावित रास्ता है जो सरकारी [illegible] बंद है। जिसको माननीय राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा अ[illegible]हसीलदार शिवगंज द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार बिन्दु सं0 C D E F जो हरे रंग से दर्शाया गय[illegible]। प्रतिवादीगण की निजी खातेदारी में जाने का रास्ता है। यह रास्ता खसरा नं0 668 के पास लगता हुआ है परन्तु पूर्व में दिया गया रास्ता 'ए' से 'बी' नीले रंग से दर्शाया गया है जो कि कम लम्बाई का है। खसरा नं0 668 के आस पास अन्य नजदीक कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज संख्यां तीन 3 पर

प्रकरण सं0 26/2015
हमीरसिंह व अन्य बनाम मदनलाल वगैरह
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

–::आदेश::–

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन एवं माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 09.09.2019 को ध्यान में रखते हुए विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थीगणों के कृषि आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता लधुत्तम दूरी पर उपलब्ध नहीं होने व तहसीलदार शिवगंज द्वारा भी पूर्व में स्वीकृत किये गये रास्ते को कम लम्बाई का बताने व अन्य कोई लधुत्तम रास्ता उपलब्ध नहीं होने से इस न्यायालय द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 17.06.2016 को यथावत रखने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज पूर्व आदेश अनुसार पालना सुनिश्चित करावें।

यह आदेश आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर,
शिवगंज
दिनांक 08.01.2025

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2025/12

प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना एक माह में आवश्यक रूप से की जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सहायक कलक्टर,
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:52 IST
Reason: SelfAttested